निर्णय बइजलास सुश्री अंजना सहरावत (आर.ए.एस.) उपखण्ड अधिकारी सांगोद जिला कोटा

प्रकरण संख्या : 222 / 2020

तारीख दायरा 08.12.2020

उनवान

1. नरेश कुमार पुत्र जगन्नाथ जाति किराड
2. योगेश कुमार पुत्र जगन्नाथ जाति किराड
3. सुमित्राबाई पत्नी स्व0 जगन्नाथ जाति किराड निवासीगण ग्राम लक्ष्मीपुरा तहसील सांगोद जिला कोटा राजस्थान।

— वादीगण

बनाम

1. ओमप्रकाश पुत्र मदनलाल जाति किराड
2. कन्हैयालाल पुत्र मदनलाल जाति किराड निवासीगण लक्ष्मीपुरा तहसील सांगोद जिला कोटा
3. बृजे ाबाई पुत्री मदनलाल पत्नी हंसराज जाति किराड निवासी श्रीजी के मंदिर की गली सांगोद तहसील सांगोद जिला कोटा
4. फूलन्ताबाई पुत्री मदनलाल पत्नी मनोज जाति किराड निवासी कोटा जिला कोटा
5. भूलीबाई उर्फ वन्दना पुत्री मदनलाल पत्नी दीपक जाति किराड निवासी भानपुरा बस स्टेण्ड के पास खैराबाद रोड रामगंजमंडी जिला कोटा।
6. चन्द्रकान्ता पत्नी मदनलाल जाति किराड
7. मथुरीबाई पत्नी मदनलाल जाति किराड निवासीगण ग्राम लक्ष्मीपुरा तहसील सांगोद जिला कोटा
8. नखलेशबाई पुत्री मदनलाल पत्नी नरे ा कुमार जाति किराड निवासी ग्राम बास्याहेडी तहसील कनवास जिला कोटा
9. मनभर पुत्री मदनलाल पत्नी हरिरा[illegible]लॉ तहसील सांगोद जिला कोटा।

10 राजस्थान राज्य द्वारा तहसीलदार महोदय सांगोद।

— प्रतिवादीगण

Signature Not Verified

Digitally signed by Anjana Sharawat
Date: 2021.06.17 13:33:21 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
साँगोद जिला कोटा

वाद बाबत घोशणा, इन्द्राज दुरस्ती व कृषिभूमि विभाजन

वाद अन्तर्गत धारा 88,89,53 आर टी एक्ट

उपस्थित :–

दिनॉक :– 15.12.2020

श्री अशोक कुमार जैन (वकील वादी)

श्री जावेद अंसारी (वकील प्रतिवादी)

––:: निर्णय ::––

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता वाद इस आशय का प्रस्तुत किया है कि ग्राम लक्ष्मीपुरा पटवार हलका कुराडियाखुर्द तहसील सांगोद में अन्य कृषि भूमियों के साथ साथ खसरा न0189 की 0.11 हैक्टर, खसरा न0190 की 0.12 हैक्टर, खसरा न0191 की 0.11हैक्टर कृशि भूमि स्थित रही है, जो कि राजस्व रेकार्ड में वादीगण, प्रतिवादी कम 1 ता 9 के व अन्य सहखातेदारान के नाम से राजस्व रेकार्ड में दर्ज रही है। उक्त कृषि भूमियों के अतिरिक्त वादीगण व प्रतिवादीगण के संयुक्त खाते एवं कब्जे की ग्राम कोटडी में भी कृषि भूमियां स्थित रही है।

उक्त समस्त कृषि भूमियों का वादीगण, प्रतिवादी कम 1 ता 9 व अन्य सहखातेदारान ने आपसी सहमति से मौके अनुसार विभाजन करने का विचार करने पर उन्होने आपसी सहमति से दिनांक 30.6.2016 को ग्राम कोटडी व ग्राम लक्ष्मीपुरा की कृषि भूमियों का विभाजन पत्र तैयार करवाया था, आपसी सहमति से हुए उक्त विभाजन में ग्राम लक्ष्मीपुरा व ग्राम कोटडी में स्थित समस्त कृषि भूमियों का विभाजन पत्र तैयार किया गया था, आपसी सहमति से विभाजन के वक्त यह तय हुआ था, कि ग्राम लक्ष्मीपुरा तहसील सांगोद में स्थित खसरा न0189 की

Signature Not Verified
Digitally signed by Anjana Sharawat
Date: 2021.06.17 13:33:21 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
सॉंगोद जिला कोटा

0.11 हैक्टर भूमि में से 0.03 हैक्टर, खसरा न0 190 की 0.12 हैक्टर में से 0.03 हैक्टर व खसरा न0191 की 0.11 हैक्टर में से 0.03 हैक्टर कृषि भूमि मौके पर कब्जे काश्त अनुसार वादीगण के हिस्से में रहेगी, तथा उक्त खसरा नम्बर की अन्य शेष कृषि भूमियां भी मौके पर कब्जे काश्त अनुसार ही प्रतिवादी न0 1 ता 9 व अन्य सहखातेदारान के पास रहेगी।

विभाजन के वार्तालाप के समय वादीगण का कब्जा उक्त कृषि भूमियों में दक्षिण पूर्वी कोने पर था, जिसके मुताबिक वादीगण के पास तीनों खसरा नम्बरान में से क्रमशः 0.03, 0.03, 0.03 इस प्रकार कुल 0.09 हैक्टर भूमि आनी थी, तथा प्रतिवादी क्रम 1 ता 9 के पास उत्तर पूर्वी कोने की क्रमशः 0.03, 0.03, 0.03 इस प्रकार कुल 0.09 हैक्टर कृषि भूमि आनी थी, तथा उक्त कुल 0.18 हैक्टर भूमि के अतिरिक्त शेष अन्य 0.16 हैक्टर कृषि भूमि सहखातेदार शिवराम वगैरा के हिस्से में जानी थी।

वादीगण व प्रतिवादी क्रम 1ता9 व अन्य सहखातेदारान आपसी सहमति से हुए विभाजन अनुसार मौके पर भाांति पूर्वक उपयोग उपभोग में है। अपनी अन्य कृषि भूमियों के साथ साथ उक्त कृषि भूमियों मे भी बैंक से ऋण सहायता प्राप्त करने के लिए वादीगण ने अपने खाते की नकले प्राप्त की, तो उनकी जानकारी में आया कि उनके खाते में कृषि भूमियों के नम्बर क्रमशः 189 की 0.03 हैक्टर मध्य, खसरान0190 की 0.03 हैक्टर मध्य, खसरा न0191 की 0.03 मध्य अंकित किये गये है, जबकि उनका कब्जा उक्त कृषि भूमियों में दक्षिण पूर्वी कोने पर रहा है, इसी प्रकार प्रतिवादी क्रम 1ता9 के खाते में भी खसरा न0 189/995 पूर्वी की 0.03 हैक्टर, खसरा न0 190/1008 पूर्वी की 0.03 हैक्टर व खसरा न0191/999 पूर्वी की 0.03 हैक्टर दर्ज कर दिये गये है, जबकि उनका कब्जा भी पूर्व में न होकर उक्त कृषि भूमि में उत्तर पूर्वी कोने पर है, इस तथ्य का पता लगने पर वादीगण ने उक्त कृषि भूमि से सम्बन्धित व विभाजन पत्र की नकले निकलवायी, तो उनकी जानकारी में आया कि सहवन से विभाजन पत्र में वादीगण के हिस्से में आने वाली कृषि भूमि को मध्य में अंकित कर दिया गया है, तथा प्रतिवादी न0 1ता9 के हिस्से में आने वाली कृषि भूमियों को पूर्वी दिशा में अंकित कर दिया गया है, उक्त त्रुटि सहवन से हुई है, जिसका पता लगने पर वादीगण ने प्रतिवादीगण से सम्पर्क कर उक्त त्रुटि को राजस्व रेकार्ड में दुरस्त करवाने के लिए कहा, तो वे ना नुकर करने लग गये, इसलिए वादीगण के लिए उक्त वाद प्रस्तुत करना आवश्यक हुआ है, वादीगण चाहते हैं कि मौके पर कब्जे काश्त अनुसार प्रतिवादी क्रम 1ता9 के खाते में दर्ज

Signature Not Verified
Digitally signed by Anjana Sharawat
Date: 2021.06.17 13:33:21 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
सांगोद जिला कोटा

खसरा न0191/999 की 0.03 हैक्टर, खसरा न0190/1008 की 0.03 हैक्टर में से 0.015हैक्टर दक्षिणी व खसरा न0190 की 0.03 हैक्टर में से 0.015 हैक्टर दक्षिणी भूमि का खातेदार कृषक वादीगण को घोशित किया जावें, इसी प्रकार खसरा न0190/1008 की 0.03 हैक्टर में से 0.015 हैक्टर उत्तरी व खसरा न0190 की 0.03 हैक्टर में से 0.15 हैक्टर उत्तरी व खसरा न0189 की 0.03 हैक्टर व खसरा न0 189/995 की 0.03 हैक्टर भूमि का प्रतिवादी क्रम 1ता9 को खातेदार कृषक घोषित किया जावें, तथा उक्त घोषणा के अनुक्रम में उक्त कृषि भूमियों का विभाजन किया जाकर लगान राज प्रथक किया जावें, यही इस वाद की विषय वस्तु है।

वाद कारण दिनांक 2.12.2020 को उत्पन्न हुआ, जब वादीगण ने अपनी कृषि भूमि के खाते की नकल प्राप्त की और उसमें खसरा नम्बर गलत दर्ज होने की जानकारी मिली।

अतः वाद पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि वादीगण के पक्ष मे घोषणात्मक आज्ञप्ति की डिक्री पारित की जाकर मौके पर कब्जे काश्त अनुसार प्रतिवादी क्रम 1ता9 के खाते में दर्ज खसरा न0191/999 की 0.03 हैक्टर, खसरा न0190/1008 की 0.03 हैक्टर में से 0.015 हैक्टर दक्षिणी व खसरा न0190 की 0.03 हैक्टर में से 0.015 हैक्टर दक्षिणी भूमि का खातेदार कृशक वादीगण को घोषित किया जावें, इसी प्रकार खसरा न0190/1008 की 0.03 हैक्टर में से 0.015 हैक्टर उत्तरी व खसरा न0190 की 0.03 हैक्टर में से 0.015 हैक्टर उत्तरी व खसरा न0 189 की 0.03 हैक्टर व खसरा न0 189/995 की 0.03 हैक्टर भूमि का प्रतिवादी क्रम 1ता9 को खातेदार कृशक घोषित किया जावें। उक्त घोषणा के अनुक्रम में इन्द्राज दुरस्त किया जाकर राजस्व रेकार्ड में अमलदरामद किया जावें।

उक्त घोषणा के अनुक्रम में वादीगण के खाते में दर्ज की गई उक्त कृषि भूमियों का विभाजन किया जाकर वादीक्रम 1 के खाते में ग्राम लक्ष्मीपुरा तहसील सांगोद में स्थित खसरा न0191 की 0.03 हैक्टर में से 0.02 हैक्टर पश्चिमी, खसरा न0190 दक्षिणी की 0.015हैक्टर में से 0.010 पश्चिमी भूमि, वादीक्रम 2 के खाते में खसरा न0191 की 0.03 हैक्टर में से 0.01 हैक्टर पूर्वी, खसरा न0190 दक्षिणी की 0.015 हैक्टर में से 0.00[illegible] हैक्टर पूर्वी, खसरा न0 191/999 की 0.03 हैक्टर में से 0.01 हैक्टर पश्चिमी व खसरा न0190/1[illegible] की 0.015 हैक्टर में से 0.005 हैक्टर पश्चिमी भूमि, वादी क्रम 3 के खाते में खसरा न0191/[illegible] की 0.03 हैक्टर में से 0.02 हैक्टर पूर्वी,

Signature Not Verified
Digitally signed by Anjana Sharawat
Date: 2021.06.17 13:33:21 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
सांगोद जिला कोटा

व खसरा न0190/1008 की 0.015 हैक्टर में से 0.010 हैक्टर पूर्वी कृषि भूमि दर्ज की जावें। उपरोक्तानुसार लगान राज प्रथक प्रथक किया जावें।

उक्त आशय का वाद प्रस्तुत होने पर वाद दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण की तलबी की गई। प्रतिवादीगण 1ता9 की ओर से वकील श्री जावेद अंसारी द्वारा इकबाली जवाब दावा मय राजीनामाा प्रस्तुत किया गया। प्रतिवादीगण 1ता9 ने राजीनामा अनुसार वाद को स्वीकृत करने पर सहमति व्यक्त की। वादीगण तथा प्रतिवादीगण 1ता9 स्वयं न्यायालय हाजा में उपस्थित हुए। राजीनामा तस्दीक किया गया। राजीनामे के तथ्य निम्न प्रकार है–

–:: राजीनामा ::–

हिस्सा वादी कम 1:– माल ग्राम लक्ष्मीपुरा तहसील सांगोद के खसरा न0191 की 0.03 हैक्टर में से 0.02हैक्टर पश्चिमी, खसरा न0190 दक्षिणी की 0.015 हैक्टर में से 0.010 पश्चिमी भूमि।

हिस्सा वादी कम 2:– माल ग्राम लक्ष्मीपुरा तहसील सांगोद के खसरा न0191 की 0.03 हैक्टर में से 0.01 हैक्टर पूर्वी, खसरा न0190 दक्षिणी की 0.015 हैक्टर में से 0.005 हैक्टर पूर्वी, खसरा न0 191/999 की 0.03 हैक्टर में से 0.01 हैक्टर पश्चिमी व खसरा न0190/1008 की 0.015 हैक्टर में से 0.005 हैक्टर पश्चिमी भूमि।

हिस्सा वादिनी कम3:– माल ग्राम लक्ष्मीपुरा तहसील सांगोद के खसरा न0191/999 की 0.03 हैक्टर में से 0.02 हैक्टर पूर्वी, व खसरा न0190/1008 की 0.015 हैक्टर में से 0.010 हैक्टर पूर्वी कृषि भूमि।

हिस्सा प्रतिवादी कम 1ता 9 :– माल ग्राम लक्ष्मीपुरा [illegible] के खसरा न0190/1008 की 0.03 [illegible] खसरा न0190 की 0.03 हैक्टर [illegible] उत्तरी व खसरा न0 189 की 0.03 हैक्टर व खसरा न0 189/995 की 0.03 हैक्टर भूमि।

Signature Not Verified
Digitally signed by Anjana Sharawat
Date: 2021.06.17 13:33:21 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
साँगोद जिला कोटा

उपरोक्तानुसार वादीगण व प्रतिवादी कम 1ता9 को उनके हिस्से मे आई कृषि भूमि का खातेदार कृषक घोषित किया जाकर लगान राज प्रथक प्रथक किया जावें।

पत्रावली के अवलोकन से मैनें यह पाया कि पत्रावली मे जो इकबाली जवाब दावा, दस्तावेजात, राजीनामा व पक्षकारों के अभिवचनों पर सूक्ष्मतम अवलोकल करने के उपरान्त दावा मैं वादी स्वीकार करना उचित समझती हूँ। अतः वादी का वाद स्वीकार किये जाने योग्य होने से स्वीकार किया जाकर अंतिम रूप से डिकी किया जाता है।

वादी का वाद स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि –

माल ग्राम लक्ष्मीपुरा तहसील सांगोद की विवाादित आराजी को वादीगण व प्रतिवदीगण के मध्य हुए राजीनामे वादीगण व प्रतिवादीगण को निम्नानुसार खातेदार कृषक घोषित किया जाता है–

हिस्सा वादी कम 1:– माल ग्राम लक्ष्मीपुरा तहसील सांगोद के खसरा न0191 की 0.03 हैक्टर में से 0.02हैक्टर पश्चिमी, खसरा न0190 दक्षिणी की 0.015 हैक्टर में से 0.010 पश्चिमी भूमि।

हिस्सा वादी कम 2:– माल ग्राम लक्ष्मीपुरा तहसील सांगोद के खसरा न0191 की 0.03 हैक्टर में से 0.01 हैक्टर पूर्वी, खसरा न0190 दक्षिणी की 0.015 हैक्टर में से 0.005 हैक्टर पूर्वी, खसरा न0 191/999 की 0.03 हैक्टर में से 0.01 हैक्टर पश्चिमी व खसरा न0190/1008 की 0.015 हैक्टर में से 0.005 हैक्टर पश्चिमी भूमि।

हिस्सा वादिनी कम3:– माल ग्राम लक्ष्मीपुरा तहसील सांगोद के खसरा न0191/999 की 0.03 हैक्टर में से 0.02 हैक्टर पूर्वी, व खसरा न0190/1008 की 0.015 हैक्टर में से 0.010 हैक्टर पूर्वी कृषि भूमि।

हिस्सा प्रतिवादी कम 1ता 9 :– माल ग्राम लक्ष्मीपुरा तहसील सांगोद के खसरा न0190/1008 की 0.03 हैक्टर में से 0.005 हैक्टर उत्तरी व खसरा न0190 की 0.03 हैक्टर में से 0.015 हैक्टर उत्तरी व खसरा न0 189 की 0.03 हैक्टर व खसरा न0 189/995 की 0.03 हैक्टर भूमि।

Signature Not Verified
Digitally signed by Anjana Sharawat
Date: 2021.06.17 13:33:21 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
साँगोद जिला कोटा

उक्तानुसार पक्षकारान को खातेदार कृषक घोषित किया जाकर राज लगान पृथक–पृथक दर्ज किया जावें। उक्त घोषणा के अनुक्रम में इन्द्राज दुरस्त कर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावें। प्रकरण में वर्णित आराजी पर रहन होने की स्थिति प्रथम चार्ज बैंक का होने के कारण रहन यथावत रहेगा। यदि किसी व्यक्ति विशेष के स्वयं के हिस्से तक रहन है तो निर्णय के पश्चात रहन उक्त व्यक्ति पर यथावत रहेगा। वाद व्यय वादी स्वयं वहन करें। नियमानुसार डिक्री पर्चा पृथक से जारी हो।

(अंजना सहरावत)
उपखण्ड अधिकारी सांगोद

Signature Not Verified

Digitally signed by Anjana Sharawat
Date: 2021.06.17 13:33:21 IST
Reason: SelfAttested

निर्णय आज दिनांक 15.12.2020 को खुले न्यायालय में लिखाकर सुनाया गया।

(अंजना सहरावत)
उपखण्ड अधिकारी सांगोद

उपखण्ड अधिकारी सांगोद

फर्द डिक्री मुकदमात इब्तदाई

आर.रूल्स 6–7 जाप्ता दीवानी

निर्णय बइजलास सुश्री अंजना सहरावत (आर.ए.एस.) उपखण्ड अधिकारी सांगोद जिला कोटा

प्रकरण संख्या : 222 / 2020 तारीख दायरा 08.12.2020

उनवान

1. नरेश कुमार पुत्र जगन्नाथ जाति किराड
2. योगेश कुमार पुत्र जगन्नाथ जाति किराड
3. सुमित्राबाई पत्नी स्व0 जगन्नाथ जाति किराड निवासीगण ग्राम लक्ष्मीपुरा तहसील सांगोद जिला कोटा राजस्थान।

– वादीगण

बनाम

1. ओमप्रकाश पुत्र मदनलाल जाति किराड
2. कन्हैयालाल पुत्र मदनलाल जाति किराड निवासीगण लक्ष्मीपुरा तहसील सांगोद जिला कोटा
3. बृजे ाबाई पुत्री मदनलाल पत्नी हंसराज जाति किराड निवासी श्रीजी के मंदिर की गली सांगोद तहसील सांगोद जिला कोटा
4. फूलन्ताबाई पुत्री मदनलाल पत्नी मनोज जाति किराड निवासी कोटा जिला कोटा
5. भूलीबाई उर्फ वन्दना पुत्री मदनलाल पत्नी दीपक जाति किराड निवासी भानपुरा बस स्टेण्ड के पास खैराबाद रोड रामगंजमंडी जिला कोटा।
6. चन्द्रकान्ता पत्नी मदनलाल जाति किराड
7. मथुरीबाई पत्नी मदनलाल जाति किराड निवासीगण ग्राम लक्ष्मीपुरा तहसील सांगोद जिला कोटा
8. नखलेशबाई पुत्री मदनलाल पत्नी न[illegible] कुमार जाति किराड निवासी ग्राम बास्याहेडी तहसील कनवास जिला कोटा
9. मनभर पुत्री मदनलाल पत्नी हरिराम जाति किराड निवासी ग्रणम बोरीनाकलॉ तहसील सांगोद

Signature Not Verified
Digitally signed by Anjana Sharawat
Date: 2021.06.17 13:33:21 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
सॉंगोद जिला कोटा

अधिकारी सांगोद

जिला कोटा।

10 राजस्थान राज्य द्वारा तहसीलदार महोदय सांगोद। — प्रतिवादीगण

वाद बाबत घोशणा, इन्द्राज दुरस्ती व कृषिभूमि विभाजन

वाद अन्तर्गत धारा 88,89,53 आर टी एक्ट

उपस्थित :–

श्री अशोक कुमार जैन (वकील वादी) दिनॉक :– 15.12.2020

श्री जावेद अंसारी (वकील प्रतिवादी)

आज यह मुकदमा वास्ते इन फिसाल कतई रूबरू मुझ सुश्री अंजना सहरावत (आर.ए.एस.) व हाजरी श्री अशोक कुमार जैन मिन जानिब मुंदई रूबरू श्री ..... मिन जानिब मुददायल पेश होकर आदेश दिया जाता है कि–

माल ग्राम लक्ष्मीपुरा तहसील सांगोद की विवाादित आराजी को वादीगण व प्रतिवदीगण के मध्य हुए राजीनामे वादीगण व प्रतिवादीगण को निम्नानुसार खातेदार कृषक घोषित किया जाता है–

हिस्सा वादी कम 1:– माल ग्राम लक्ष्मीपुरा तहसील सांगोद के खसरा न0191 की 0.03 हैक्टर में से 0.02हैक्टर पश्चिमी, खसरा न0190 दक्षिणी की 0.015 हैक्टर में से 0.010 पश्चिमी भूमि।

हिस्सा वादी कम 2:– माल ग्राम लक्ष्मीपुरा तहसील सांगोद के खसरा न0191 की 0.03 हैक्टर में से 0.01 हैक्टर पूर्वी, खसरा न0190 दक्षिणी की 0.015 हैक्टर में से 0.005 हैक्टर पूर्वी, खसरा न0 191/999 की 0.03 हैक्टर में से 0.01 हैक्टर पश्चिमी व खसरा न0190/1008 की 0.015 हैक्टर में से 0.005 हैक्टर पश्चिमी भूमि।

Signature Not Verified
Digitally signed by Anjana Sharawat
Date: 2021.06.17 13:33:21 IST
Reason: SelfAttested

हिस्सा वादिनी कम3:– माल ग्राम लक्ष्मीपुरा तहसील सांगोद के खसरा न0191/999 की 0.03

उपखण्ड अधिकारी

हैक्टर में से 0.02 हैक्टर पूर्वी, व खसरा न0190/1008 की 0.015 हैक्टर में से 0.010 हैक्टर पूर्वी कृषि भूमि।

हिस्सा प्रतिवादी कम 1ता 9 :– माल ग्राम लक्ष्मीपुरा तहसील सांगोद के खसरा न0190/1008 की 0.03 हैक्टर में से 0.015 हैक्टर उत्तरी व खसरा न0190 की 0.03 हैक्टर में से 0.015 हैक्टर उत्तरी व खसरा न0 189 की 0.03 हैक्टर व खसरा न0 189/995 की 0.03 हैक्टर भूमि।

उक्तानुसार पक्षकारान को खातेदार कृषक घोषित किया जाकर राज लगान पृथक–पृथक दर्ज किया जावें। उक्त घोषणा के अनुकम में इन्द्राज दुरस्त कर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावें। प्रकरण में वर्णित आराजी पर रहन होने की स्थिति प्रथम चार्ज बैंक का होने के कारण रहन यथावत रहेगा। यदि किसी व्यक्ति विशेष के स्वयं के हिस्से तक रहन है तो निर्णय के पश्चात रहन उक्त व्यक्ति पर यथावत रहेगा।

(अंजना सहरावत)
उपखण्ड अधिकारी सांगोद

Signature Not Verified

Digitally signed by Anjana Sharawat
Date: 2021.06.17 13:33:21 IST
Reason: SelfAttested

निर्णय आज दिनांक 15.12.2020 को खुले न्यायालय में लिखाकर सुनाया गया।

(अंजना सहरावत)
उपखण्ड अधिकारी सांगोद